

# मज़दूर मोर्चा

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com  
www.mazdoormorcha.com

सासाहिक

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2018-20 /R.N.I. No. 66400/97

वर्ष 34

अंक 30

फरीदाबाद

6-12 जून 2021



मेवात में माहौल भड़काने की साजिश

3

सारा कैश जा किसकी जब में रहा है?

4

एफएमडीए नामक दुकान में खाने-कराने का धंधा

5

क्या चुनाव से पहले भाजपा योगी को निपटा सकती है?

6

श्रीराम धर्मार्थ में शब वाहन के नाम पर कमाई

8

फोन-8851091460

3.00 ₹

## हरियाणा सरकार लीज की दुकानों को नालिकाना हक देकर अवैध क्षणों व व्यष्टिपाद पर नुहर लगायेगी

**जबकि हाईकोर्ट ने कहा था- एनआईटी फरीदाबाद की ग्रीन बेल्ट और बरामदों में ओपन स्पेस जरूरी**

मजदूर मोर्चा ब्लूरे

**फरीदाबाद:** आने वाले बक्क में अतिक्रमण के हालात और बुरे होने वाले हैं। हाल ही में सरकारी संपत्तियों पर 20 साल से अधिक समय से किराये, लीज या लाइसेंस पर बैठे कब्जाधारियों को हरियाणा सरकार ने मालिकाना हक देने का फैसला किया है। फरीदाबाद में ऐसी संपत्तियों की भरमार है। लेकिन एनआईटी के एनएच 1, 2, 3, 5 में लाइन ऐसी ज्यादा दुकानें हैं। इनमें लोग 20 साल से भी ज्यादा समय से कारोबार कर रहे हैं। लेकिन सरकार के इस आदेश में बहुत बड़ा खोट है और आने वाले समय में शयद ही इस पर पूरी तरह से अमल हो सके।

**असलियत क्या है**

एनआईटी इलाके में ऐसी हर दुकान के आगे उसने फड़ वाले या कुछ अन्य काम करने वाले को किराये पर जगह दे रखी है। यानी कब्जाधारी दुकानदार दुकान के आगे वाले हिस्से से उल्टा कमाइ कर रहा है। लोगों ने डबल-डबल बेसमेंट बना रखे हैं। बीके चौक के पास तो एक दुकान में चार बेसमेंट बने हुए हैं। सरकार का ये आदेश लागू हुआ तो ऐसी सारी संपत्तियों के साथ-साथ ऐसे अतिक्रमण भी नियमित हो जाएंगे। सरकार ने इस आदेश को लागू करने से पहले बोर्ड सर्वे आदि नहीं कराया है। अगर उसके पास सर्वे होता तो पता चलता कि अगर ऐसी दुकानें एक हजार हैं तो उन दुकानों के आगे कब्जे वाली जाहे जाहे दस हजार हैं। इस तरह सरकार ने अपनी आमदानी का एक बहुत बड़ा जरिया भी खो दिया है। सरकार अगर सर्वे कराती तो दुकानों के आगे फड़ या अन्य तरह से दुकान लगाकर बैठे लोगों से भी फीस लेकर अपना खजाना भर सकती थी लेकिन इस



सिलसिले में अफसरों ने मुख्यमंत्री को पूरी तरह नजरदाज कर दिया। ये भी कह सकते हैं कि इसे कराने के लिए रिश्ततखार अफसरों की लॉबी और कुछ नेता लगे हुए थे जो फिलहाल सफल हो गए लगते हैं।

**कानूनी स्थिति क्या है**

मजदूर मोर्चा ने इस बारे में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं के फैसले को अध्ययन किया। सीडब्ल्यूपी 13508/2006 के ए. गेरा बनाम हरियाणा सरकार और सीडब्ल्यूपी 1783/2018 के ए.एल. गेरा बनाम हरियाणा सरकार में हाई कोर्ट का आदेश बहुत साफ है। हाई कोर्ट ने इन जनहित याचिकाओं का निपटारा करते हुए खासतौर से फरीदाबाद के संदर्भ में साफ कहा कि सड़कों के साथ जो ग्रीन बेल्ट है, वो खाली रखी जाए। वह खाली जगह पब्लिक स्पेस (सार्वजनिक स्थल) है, वहां किसी भी तरह का कब्जा अवैध है। इसी तरह सर्विस रोड के किनारे भी ओपन स्पेस जरूरी है, वहां खाली जगह पर कब्जा गलत है और उसे उसी तरह ओपन स्पेस रखा जाए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि जहां दुकानों के

आगे बरामदे बने हुए हैं, वहां ओपन स्पेस खाली रखा जाए, ताकि लोगों को चलने-फिरने में कोई परेशानी न हो। लेकिन फरीदाबाद के सभी मुख्य बाजारों में आप देखेंगे तो पाएंगे कि बरामदे कहीं नजर ही नहीं आते। वहां पर दुकान वाले ने या तो अपना सामान रखा हुआ है या फिर उसने बरामदे की जगह को भी आगे किराये पर दे रखा है। यह सिर्फ एनआईटी फरीदाबाद में ही नहीं है बल्कि हुड़ा सेक्टरों में भी यही हाल है। जिन सेक्टरों को नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) ने टेकओवर कर लिया है, वहां तो और भी बुरा हाल है। कुछ जगहों पर बरामदे कवर करके दुकानों तक बना दी गई है।

हमने जाने-माने आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता के.ए.ल. गेरा से बात की और पूछा कि क्या उन्हें अपनी याचिकाओं पर अब अफसोस है, जबकि सरकार ऐसी दुकानों को नियमित करके अतिक्रमणों पर मुहर लगाने जा रही है, गेरा ने कहा कि खट्टू सरकार न पुंसक है। वह बेइमान अफसरों की कठुनाली बनी हुई है। उन्हीं अफसरों ने ऐसे हिमाकत वाले

फैसले कराये हैं, जिसके पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है।

**एमसीएफ को शर्मसार करते आंकड़े**

एनआईटी इलाके में ज्यादातर दुकानें लीज या फ्रीहोल्ड हैं। इस संबंध में अलग-अलग लोगों ने समय-समय पर आरटीआई के जरिए सूचनाएं मार्गीं तो एमसीएफ ने उनके लिखित जवाब दिए हैं। एक आरटीआई में पूछा गया था कि एनएच 1 मार्केट में ऐसी कितनी दुकानें जो लीज पर दी गई और जिनका मूल स्वरूप बदल दिया गया, एमसीएफ ने जवाब में बताया कि एनएच 1 में कुल 193 दुकानें लीज पर/किराये पर दी गई हैं। जिनमें लगभग सभी दुकानों पर एमसीएफ ने इसी आरटीआई में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि एनएच 1 की इन सभी दुकानों के आगे बरामदे का प्रावधान था, जिसे ग्राहकों के आगे-जाने के लिए बनाया गया है। एमसीएफ ने इसी आरटीआई में यह भी स्वीकार किया कि जिन दुकानों के आगे बरामदे हैं, उनको लगभग सभी दुकानों ने कवर कर लिया है। कुछ में तो शटर तक लगे हुए हैं। एमसीएफ ने इस आरटीआई के जवाब में यह भी कहा कि जिन दुकानदारों ने अपनी दुकान की हद के बाहर अन्य दुकानों वालों को बैठाया हुआ है, ऐसी कोई सूची उसके पास नहीं है।

**कितनी दुकानें कहां-कहां**

एनएच 1 में मार्केट में 193, तिकोना पार्क में 165, धोबीघार मार्केट, सेन्ट्रल ग्रीन एनआईटी में 21, 2 सी जनता कॉलोनी एनआईटी में 17, 2 एच मार्केट में 157, 3 जी मार्केट में 113, एनएच 5 मार्केट में 174, न्यू जनता कॉलोनी मार्केट एनआईटी में 09, नाहर सिंह मार्केट बल्लभगढ़ में 24, लाइब्रेरी मार्केट बल्लभगढ़ में 45, ओल्ड

डिस्पेंसरी मार्केट बल्लभगढ़ में 69 और ओल्ड फरीदाबाद की संजय मार्केट (बाबा फरीद पार्क के पास) में 63 दुकानें हैं। यह कुल दुकानें 1050 हैं। यह एमसीएफ का आंकड़ा है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में लोज पर दी गई ऐसी संपत्तियां करीब 1800 बताई गई हैं।

**इस डामे की निकलेगी हवा ?**

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य सरकार की इस बेवकूफी पर बिना विचार किए फौरन व्यापारी नेताओं से इसका स्वागत कराने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह निकला कि तमाम व्यापारी नेताओं ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। भाजपा विधायक सीमा त्रिखा तो कुछ व्यापारी नेताओं को सीएम खट्टू से मिलावाने भी ले गई। अखबारों में जमकर बयान छपाए गए। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर दुकानदार किराये के आगे-जाने के लिए बनाया गया है। एमसीएफ ने इसी आरटीआई में यह भी स्वीकार किया कि जिन दुकानों के आगे बरामदे हैं, उनको लगभग सभी दुकानों ने कवर कर लिया है। कुछ में तो शटर तक लगे हुए हैं। एमसीएफ ने इस आरटीआई के जवाब में यह भी कहा कि जिन दुकानदारों ने अपनी दुकान की हद के बाहर अन्य दुकानों वालों को बैठाया हुआ है, ऐसी कोई सूची उसके पास नहीं है। बहुत मुमकिन है कि अदालत इस फैसले का पलट दे। यह भी मुमकिन है कि अगर के.एल. गेरा अदालत को उसके पुराने आदेश याद दिलाते हुए इस सरकारी आदेश को चुनौती देते हैं तो अदालत गेरा की याचिका पर हरियाणा सरकार के आदेश पर रोक लगा सकती है। बता दें कि 2013 में जब भूपेन्द्र सिंह की कांग्रेस सरकार के आखिरी दिन थे, तब भी इस तरह की पहल हुड़ा से कराने की कोशिश हुई थी लेकिन जब अपसरों ने इस आदेश के नुकसान बताए तो हुड़ा ने वो आदेश वापस ले लिया था।

## 'सीआईए शराब ठेका लूट कांड' में लगी आरटीआई



अनिल विज : इमानदार गृहमंत्री की नाक के नीचे बह रही भ्रष्टाचार की गंगा

मातहत एसआई की नकेल करते, उसके विरुद्ध तुरंत कानूनी कार्यवाही करते? इसके अलावा जिस एसजीएम नगर थाना क्षेत्र में ये आदात हो रही थी उस एनआईटी क्षेत्र के एसीपी व डीसीपी को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? इस कड़ी में सबसे छोटा अधिकारी उस क्षेत्र का एसएचोर्ड पड़ता है जिसने अपनी सीमित शक्तियों के अनुसार रवांदा का काफी प्रतिरोध किया। जानकार कहते हैं